न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राज.)
पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्याः— 08 / 2016 दिनांकः—12.09.2019

1. झूंथाराम उर्फ ओमप्रकाश
2. सुखाराम
3. त्रिलोकचन्द समस्त पुत्रगण कुरडाराम जाति चमार निवासी ग्राम रामसीसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर।

.....वादीगण

बनाम

1. भैराराम उर्फ भैरूराम दत्तक पुत्र गीदाराम जाति चमार निवासी ग्राम रामसीसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर।
2. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
3. रतनलाल पुत्र कुरडाराम जाति चमार निवासी रामसीसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा (वादीगण की ओर से)

—:निर्णयः—

वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित रोही मौजा रामसीसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर के साबिक खसरा नं. 45 की 19 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 364 की 21 बीघा 10 बिस्वा (2) कुल 41 बीघा भूमि स्थित है, जिसके कुरडा वल्द केशा कौम चमार खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा रामसीसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर के साबिक खसरा नं. 45 की 19 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 364 की 21 बिघा 10 बिस्वा कुल 41 बीघा भूमि का कुरडा वल्द केसा वाद भूमि के खातेदार काश्तकार थे, जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 से रोशन है कि गीदा पुत्र पुरा कोम चमार का नाम सहवन से अमलामाल द्वारा जमाबन्दी में दर्ज कर दिया गया जबकि गीदा वल्द पुरा कौम चमार बेऔलाद फौत हो गया उसका नाम जमाबन्दी मैं कतई नुमाईशी तौर से दर्ज हो गया है उसका वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है ना ही गीदा कभी उक्त वादग्रस्त भूमि का कभी कोई खातेदार काश्तकार रहा है उक्त भूमि का कुरडा वल्द केसाराम ही खातेदार काश्तकार है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 दिनांक 15 अक्टूबर 1955 को प्रवृत हुआ उस समय केवल कुरडा वल्द केसा ही उक्त भूमि पर काबिज थे तथा वे ही उक्त समस्त भूमि के खातेदार काश्तकार थे। जो गिरदावरी सम्वत् 2011 से 2014 से रोशन है कि सम्वत् 2011, 2012, 2013, 2014 में गीदा वल्द पुरा कभी काश्तकार नही रहा ना ही उक्त सम्वत् में वाद भूमि गीदा के कब्जा में रही इसलिए गीदा वल्द पुरा काश्तकारी अधिनियम के प्रवृतन के समय कभी काबिज नही रहा इसलिए उसे खातेदार अधिकार कानूनी तौर पर प्राप्त करने का अधिकार नही है, तथा उक्त भूमि में गीदा वल्द पुरा का दत्तक पुत्र भैराराम उर्फ भैरूराम का नाम कलमजन करवाने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता ने नो—ऑबजेक्शन जाहिर करने पर उक्त प्रतिवादी संख्या 01 के

(निधि सिंह) उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वादीगण ने शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 01 ओकचन्द पुत्र कुरड़ाराम, पी.डब्ल्यू 02 गोपाल पुत्र लालाराम तथा पी.डब्ल्यू 03 गीता देवी पत्नि गजानन्द पेश किये। वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में प्रदर्श 01 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2011, प्रदर्श 02 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010, प्रदर्श 03 नकल नामान्तरकरण संख्या 123, प्रदर्श 04 नामान्तरकरण संख्या 90, प्रदर्श 10 खसरा गिरदावरी सम्वत 2034–37, प्रदर्श 9 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2030–33, प्रदर्श– 8 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2026–29, प्रदर्श 7 खसरा गिरदावरी सम्वत 2012–15, प्रदर्श 06 खसरा गिरदावरी सम्वत 2019–21, प्रदर्श 5 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2014–17, प्रदर्श 11 खसरा गिरदावरी सम्वत 2004 अपठीत, प्रदर्श 12 खसरा गिरदावरी 2006, प्रदर्श 13 खसरा गिरदावरी सम्वत 2015–18, प्रदर्श 14 खसरा गिरदावरी सम्वत 2031–34, प्रदर्श 15 खसरा गिरदावरी सम्वत 2043–46, प्रदर्श 16 खसरा गिरदावरी सम्वत 2039–42, प्रदर्श 17 खसरा गिरदावरी सम्वत 2047–52, प्रदर्श 18 खसरा गिरदावरी सम्वत 2043–46, प्रदर्श 19 खसरा गिरदावरी सम्वत 2009, प्रदर्श 20 खसरा गिरदावरी सम्वत 2019–22, प्रदर्श 21 खसरा गिरदावरी सम्वत 2026–30, प्रदर्श 22 खसरा गिरदावरी सम्वत 2047–50, प्रदर्श 23 खसरा गिरदावरी सम्वत 2055–58, प्रदर्श 24 खसरा गिरदावरी सम्वत 2051–54, प्रदर्श 25 खसरा गिरदावरी सम्वत 2038–41 आदि दस्तावेजात पेश किये।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दावे के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2017 से यह स्पष्ट रोशन है कुरड़ा के अलावा गीदा की काश्त दर्ज कतई गलत तौर से की है जबकि गीदा का कुरड़ा भाई नहीं था। अंकन सहवन है जो वादी के हक हकुक के खिलाफ है तथा इसी प्रकार कुरड़ा व लाला वल्द उदा जाट की काश्त दर्शाई है जबकि कुरड़ा तीन बार वल्दियत गलत दर्ज है। कही केशा व पुरा तथा उदा तीनो व्यक्तियों के कुरड़ा सन्तान कतई गलत दर्ज की है तथा लाला की काश्त भी कतई गलत दर्ज की है जबकि सम्वत् 2014 से 2017 तक की गिरदावरी में खाता संख्या 45 व 364 में केशिया चमार यानि वादीगण के पिता की काश्त दर्ज की है तथा गिरदावरी सम्वत् 2043 में भी कुरड़ा वल्द केसा की ख.नं. 45 व 364 में काश्त दर्ज है जिससे कब्जा वादीगण के पिता के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा साथ में गीदा का दर्ज है लेकिन लाला वल्द उदा का नाम दर्ज नहीं है तथा नामान्तरण सं. 123 ख.नं. 45 की 19 बीघा 10 बिस्वा, दिनांक 23.05.1960 को वादीगण के पिता के पक्ष सम्वत् 2012 से 2016 का मानकर तस्दीक किया है तथा लाला वल्द उदा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 लागू होने के वक्त खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं है। सम्वत् 2017 में लाला वल्द उदा का नाम आया है इसलिए उसको राजस्थान टीनेन्सी के तहत खातेदार काश्तकार कानूती तौर पर नही माना जा सकता है, तथा सम्वत् 2027 की गिरदावरी में भी लाला वल्द उदा कौम जाट दर्ज नही है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2058 में भी लाला वल्द उदा खातेदार काश्तकार नहीं है और भैरू का नाम भी गलत दर्ज किया है क्योंकि पिता व पुत्र दोनों भैरू दर्ज किये है जो नामान्तरण संख्या 860 से प्रविष्टि दर्शाई है तथा गीदा के कोई खोलायत सन्तान नहीं थी तथा सम्वत् 2051 की जमाबन्दी में भी लाला वल्द उदा दर्ज नहीं है केवल कुरड़ा वल्द केशा खातेदार के साथ गीदा वल्द पुरा दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 में लाला व भागीरथ आदि का नाम दर्ज नही है जमाबन्दी सम्वत 2026 से 2029 में भी लाला व भागीरथ का नाम दर्ज नहीं जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 2033 व 2034 से 2036 व 2038 से 2041 व 2043 से 2046 व 2039 सम्वत 2026 से 2029 सम्वत 2022 से 2025 जमाबन्दी सम्वत 2018 से 2021 में भी लाला वल्द उदा तथा भागीरथ आदि गोड़िया बड़ा वालों का नाम तक दर्ज नहीं है तथा गिरदावरी चतवर्षीय सम्वत् 2047 से 2050 में केवल कुरड़ा वल्द केशा है खातेदार दर्ज है सम्वत् 2011 में गीदा की काश्त गिरदावरी में दर्ज नहीं है इसलिए गीदा उक्त भूमि में खातेदार काश्तकार नहीं है उसका नाम कलमजन करवाने के वादीगण अधिकारी है।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर

Scanned by CamScanner

वाद भूमि वर्तमान में उक्त भूमि हैक्टेयर में तब्दील होकर रोही मौजा रामसीसर तहसील ...ढ़ जिला सीकर के ख.नं. 45 की 4.9300 हैक्टयर ख.नं. 364/1 की 2.9100 हैक्टयर कुल 2 खसरे जात की 7.8400 हैक्टयर भूमि में तब्दील व पैमूद हो गई है।

इसलिए उक्त भूमि में भैरा इन्द्राजात वादीगण के हक व हकुक के मुकाबले शून्य अकृत है तथा बिना किसी समक्ष न्यायालय के आदेश उमला माल राजस्व द्वारा साजिशाना तौर से दर्ज किया गया है इसलिए वादीगण प्रतिवादी सं. 01 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कलमजन करवा पाने के अधिकारी है। बहस में वादीगण द्वारा 2017(2) आरआरटी 1332 के संदर्भ में कथन किया गया कि धारा 19 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत नायब तहसीलदार खातेदारी अधिकार स्वीकार करने की अधिकारिता नही रखता है।

न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रदर्श 01 ता 25 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नामांतरकरण संख्या 123 के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वादी तथा प्रतिवादी क्रम एक के पूर्वजों के नाम से खातेदारी अधिकार तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं यह तथ्य उल्लेखनीय है कि यदि वादी के तर्क को स्वीकार किया जावे कि नायब तहसीलदार को प्रतिवादी क्रम एक के पूर्वजों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का अधिकार नहीं था तो उसी तथ्य के आधार पर वादी भी विवादित आराजी का सह खातेदार साबित नहीं हो सकता है क्योंकि वादी तथा प्रतिवादी क्रम एक के पूर्वजों को एक ही नामांतरकरण आदेश से विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 01 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2011, प्रदर्श 02 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010, प्रदर्श 03 नकल नामान्तरकरण संख्या 123, प्रदर्श 04 नामान्तरकरण संख्या 90, प्रदर्श 10 खसरा गिरदावरी सम्वत 2034–37, प्रदर्श 9 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2030–33, प्रदर्श– 8 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2026–29, प्रदर्श 7 खसरा गिरदावरी सम्वत 2012–15, प्रदर्श 06 खसरा गिरदावरी सम्वत 2019–21, प्रदर्श 5 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2014–17, प्रदर्श 11 खसरा गिरदावरी सम्वत 2004 अपठीत, प्रदर्श 12 खसरा गिरदावरी 2006, प्रदर्श 13 खसरा गिरदावरी सम्वत 2015–18, प्रदर्श 14 खसरा गिरदावरी सम्वत 2031–34, प्रदर्श 15 खसरा गिरदावरी सम्वत 2043–46, प्रदर्श 16 खसरा गिरदावरी सम्वत 2039–42, प्रदर्श 17 खसरा गिरदावरी सम्वत 2047–52, प्रदर्श 18 खसरा गिरदावरी सम्वत 2043–46, प्रदर्श 19 खसरा गिरदावरी सम्वत 2009, प्रदर्श 20 खसरा गिरदावरी सम्वत 2019–22, प्रदर्श 21 खसरा गिरदावरी सम्वत 2026–30, प्रदर्श 22 खसरा गिरदावरी सम्वत 2047–50, प्रदर्श 23 खसरा गिरदावरी सम्वत 2055–58, प्रदर्श 24 खसरा गिरदावरी सम्वत 2051–54, प्रदर्श 25 खसरा गिरदावरी सम्वत 2038–41 में पक्षकारों के पूर्वजों कुरड़ा व गीदा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए हैं। वादी तथा प्रतिवादी का क्लेम समान तथ्यों पर आधारित है। इसलिए वकील वादी के तर्कों को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि नामांतरण संख्या 123 के आधार पर प्रतिवादी क्रम एक के पूर्वज का नाम राजस्व अभिलेख में अवैध रूप से दर्ज है।

वादीगण द्वारा घोषणात्मक तथा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है उक्त अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शर्त को साबित करना आवश्यक है कि दावा दायरी के समय विवादित आराजी पर वादीगण का एकमात्र कब्जा था। पत्रावली पर भूमि धारक तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 10.07.2018 उपलब्ध है, उक्त रिपोर्ट से यह साबित होता है कि विवादित आराजी पर पक्षकारों का अलग–अलग हिस्से पर कब्जा है। चूंकि पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य नहीं है अतः कोपार्सनर का सिद्धांत हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं है, पक्षकार एक दूसरे पक्षकार के लिए स्ट्रेंजर व्यक्ति हैं। उस स्थिति में धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

नों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के कारण अलग–अलग हिस्से पर काबिज रत होने के कारण पक्षकारों का विवादित आराजी पर निरंतर कब्जा का चला आ रहा है। तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट के आधार पर विवादित आराजी पर दावा दायरी के समय वादीगण का कब्जा आराजी पर साबित नहीं होने से वादी घोषणात्मक तथा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से दावा खारिज किए जाने योग्य है।

–:आदेश:–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आदेश है कि वाद वादीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 12.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी, सीकर

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner